पत्र संख्या-न्याय-5(1)रिट-2-इलाहाबाद/2020-21/ 715 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(वाद-अनुभाग) **लखनऊः: दिनांकः:15 जनवरी 2021**

विषय- कोविड-19 महामारी के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाले रिट/रिवीजन के डिले कण्डोनेशन के संबंध में।

महोदय,

कृपया एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर प्रयागराज के पत्र संख्या-1355 दिनांक 13/01/2021 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि Public Interest litigation (IPL) NO.564 of 2020 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05/01/2021 को पारित निर्णय से कोविड –19 महामारी के आधार पर डिले कण्डोनेशन के आधार को समाप्त कर दिया गया है तथा यह अपेक्षा की गयी है कि समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 वाणिज्य कर को इस मत से अवगत करा दिया जाए कि कोविड –'19 महामारी के आधार पर अब मा0 उच्च न्यायालय में कोई डिले कण्डोनेशन नहीं किया जाएगा। डिले कण्डोनेशन की स्थिति में उच्च न्यायालय कार्य मैनुअल के अध्याय-6 में यह व्यवस्था दी गई है कि विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसे शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किया जाएगा तथा इण्डियन लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र जिसमें दिन-प्रतिदिन के विलम्ब के सुस्पष्ट कारणों का उल्लेख होना अनिवार्य है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 इस पत्र के संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राम सजीवन मिश्रा)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्णय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

प्रेषक,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर,
प्रयागराज ।

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्य कर
(वाद अनुभाग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक : 1355 /एडी0कमि0ग्रेड–1(उ0न्या0कार्य) वा0क0 प्रयागराज : 13 जनवरी, 2021

विषय : **कोविड–19 महामारी के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाले रिट/रिवीजन के डिले कण्डोनेशन के संबंध में ।**

महोदया,

अनुरोध करना है कि Public Interest Litigation (IPL) No.-564 of 2020 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05.01.2021 को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी इण्टरनेट से डाउनलोड प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने उपरोक्त निर्णय में कोविड–19 महामारी के आधार पर डिले कण्डोनेशन के आधार को समाप्त कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में मुख्यालय स्तर से समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि कोविड–19 महामारी के आधार पर अब मा0 उच्च न्यायालय में कोई डिले कण्डोनेशन नहीं किया जाएगा। डिले कण्डोन की स्थिति में उच्च न्यायालय कार्य मैनुअल के अध्याय–6 में विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसे शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किया जाएगा तथा इण्डियन लिमिटेशन एक्त की धारा–5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र जिसमें दिन–प्रतिदिन के विलम्ब के सुस्पष्ट कारणों का उल्लेख होना अनिवार्य है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय
13.01.2021
(अशफाक अहमद)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर,
प्रयागराज ।

JC (वाद)

अपर आयुक्त
13.01.2021

3406

Scanned with CamScanner

Court No. - 40

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 564 of 2020

Petitioner :- In Re
Respondent :- State of U.P.
Counsel for Petitioner :- Suo Moto,Ashutosh Upadhyay,S.M.Faraz I. Kazmi

Hon'ble Munishwar Nath Bhandari,J.
Hon'ble Rohit Ranjan Agarwal,J.

The suo motu cognizance pertaining to interim orders and limitation expiring during the period of lockdown due to COVID-19 pandemic was taken by this Court. A detailed order was initially passed and extended from time to time with certain modification. The last order was for extension of interim orders and caveat under Section 148-A CPC.

We find that now the Courts are physically working in the State of Uttar Pradesh, thus there is no reason to keep this matter pending and for that to pass further order in reference to the interim orders for the caveats. Rather the matter is now closed due to the reasons given above and are reiterated that looking to the physical working of the Courts in the State of Uttar Pradesh, there is no need to continue this public interest litigation to extend currency period of limitation or interim order.

The writ petition is accordingly, closed and disposed of.

Order Date :- 5.1.2021
Ashish Pd.

Scanned with CamScanner